18 जून, 1981 को समाप्त कर दिया गया। उस समय तक उन्होंने 240 दिन पूरे नहीं किये थे। पहले की अवधि जब उन्हें 14 जुलाई, 1980 से केवल दो घंटे के लिए और फिर 6 नवंबर, 1980 से केवल चार घंटे के लिए माली के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे 240 दिनों में नहीं गिना जा सकता था। याचिकाकर्ता की दो घंटे और उसके बाद चार घंटे के लिए माली के रूप में नियुक्ति पूरी तरह से अलग और विशिष्ट नियुक्ति थी, यह ध्यान में रखते हुए कि कार्यालय एक आवासीय भवन में स्थित था। ऐसा होने पर, श्रम न्यायालय के इस निष्कर्ष में कुछ भी गलत या अवैध नहीं है कि यह चौकीदार के रूप में उनकी नियुक्ति से अलग और विशिष्ट नियुक्ति थी। यह मामला कि क्या अंशकालिक रोजगार औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक रोजगार था या नहीं, रंगमन्नार चेट्टी के मामले (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उसमें यह देखा गया:-

> "उपरोक्त पुरस्कार को रद्द करने के लिए आग्रह किया गया मुद्दा यह है कि अंश-रोज़गार मालिक और नौकर के रिश्ते के साथ असंगत है, शास्त्री औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1958 के XIV के अर्थ में कर्मचारी नहीं होंगे, और इसलिए न्यायाधिकरण नहीं होगा मुख्य प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अर्थ के तहत कर्मचारी नहीं है, तो अधिनियम के तहत प्रश्नों को ट्रिब्यूनल में नहीं भेजा जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के कई निर्णय हैं जिनका संदर्भ मेरे सामने दिया गया है कि अंशकालिक कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।"

बार में विपरीत दृष्टिकोण वाला कोई निर्णय उद्धृत नहीं किया गया है।

(8) इस स्थिति में, रिट याचिका विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

पीसीजी

एमआर अग्निहोत्री से पहले, जे.घर्सी, -याचिकाकर्ता,

बनाम

कलेक्टर, नारनौल और अन्य,-प्रतिवादी। सिविल रिट याचिका संख्या 3310, 1979।

9 फ़रवरी 1988.

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम (XVIII)/1961)—एस.एस. 2(जी), 13-ए और 13-बी जैसा कि संशोधन अधिनियम (द्वितीय) द्वारा जोड़ा गया है

1981) -याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने का आदेश पारित -अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार नहीं करना और उनकी सराहना नहीं करना -रिट याचिका में ऐसे आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया -आदेश रद्द कर दिया गया -रिट के लंबित रहने के दौरान अधिनियम में संशोधन किया गया -मुकदमे का समाधान प्रदान करने वाले अधिनियम में संशोधन -भरने की अवधि मुकदमा समाप्त हो गया - अवधि का विस्तार दिया गया।

*आयोजित,*चूंकि रिट याचिका वर्ष 1979 में दायर की गई थी और संशोधन 1981 में लागू हुआ था, जाहिर है, याचिकाकर्ता द्वारा पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) अधिनियम की धारा 13-ए के तहत न्यायनिर्णयन के उपाय का लाभ उठाने का कोई सवाल ही नहीं था। 1961. हालाँकि, तथ्य यह है कि सहायक कलेक्टर के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों पर विचार किए बिना और उचित रूप से सराहना किए बिना, उनके लिए एक या दूसरे तरीके से यह निष्कर्ष देना न तो संभव था और न ही सुरक्षित था कि याचिकाकर्ता और उसका भाई इसमें शामिल थे या नहीं। अधिनियम की धारा 2(जी) के प्रयोजनों के लिए विवादग्रस्त भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा है या नहीं। इस तरह के निष्कर्ष पर केवल अधिनियम की धारा 13-ए के तहत उचित निर्णय के बाद ही पहुंचा जा सकता है, जिसमें रिकॉर्ड पर मौजूद भारी दस्तावेजी सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं किये जाने पर दोनों विवादित आदेश निरस्त किये जाते हैं।

(पैरा 3)

*आयोजित,*याचिकाकर्ता ने 1979 में इस न्यायालय से संपर्क किया था और तब से वह उचित परिश्रम के साथ अपना पक्ष रख रहा है और अधिनियम में संशोधन इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान हुआ है, जो संपर्क करने के लिए अधिनियम की धारा 13-ए में निर्धारित सीमा अवधि है। उस धारा के तहत सहायक कलेक्टर का न्यायालय विस्तार योग्य है। (पैरा 4)।

*अनुच्छेद के तहत रिट याचिका*भारत के संविधान के 226/227 में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें:-

(i) *उत्तरदाताओं के रिकॉर्ड मंगाने के लिए उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में एक रिट जारी करें*विवादित आदेश, अनुलग्नक 'पी/वी और 'पी/2' से संबंधित 1 और 2 और उसके अवलोकन के बाद, विवादित आदेश, अनुलग्नक 'पी/वी और 'पी/2' को रद्द कर दिया जाता है।

(ii) *जारी करें* एअंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने और रुपये के जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी गई है। इस माननीय न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक अनुलग्नक 'पी/वी और 'पी/2' पर आदेशों को लिखकर 9,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया;

(नमस्ते) कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जो माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(iv) के अनुसार प्रतिवादियों को प्रस्ताव के नोटिस की पूर्व सेवा से छूट दें, क्योंकि यदि उसी पर जोर दिया जाता है, तो यह बहुत संभावना है कि याचिकाकर्ता को भूमि पर कब्जा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। विवाद और जुर्माने की राशि भी बलपूर्वक तरीकों से वसूली जा सकती है; इससे रिट याचिका निरर्थक हो गई;

(v) याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका की पुरस्कार लागत।

चंद्र सिंह, अधिवक्ता,*याचिकाकर्ता के लिए.*

निमो*प्रतिवादी के लिए.*

प्रलय

*एमआर अग्निहोत्री. जे***(मौखिक)**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह याचिका हरियाणा राज्य के गांव मोहबतपुर भुंगारका, तहसील नारनौल, जिला मोहिंदरगढ़ निवासी घासी पुत्र तुल्ला ने दायर की है, जिसमें 31 मार्च के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। 1978, अनुलग्नक पी.1, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, नारनौल, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया और आदेश, दिनांक 26 जून, 1979, कलेक्टर, नारनौल प्रतिवादी संख्या 1 अनुलग्नक पी.2 द्वारा अपील में पारित किया गया। उपरोक्त आदेशों के तहत याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने और 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। 9600 रुपये की दर से जुर्माना लगाया गया है. विवादित भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए प्रति एकड़ 600 रु.

2. **एसीसी के अनुसार मैं याचिकाकर्ता*dlandirbearing1* किलास.नोस। 116/1 (4-2), 21(8-7), 22(7-7) और 37/3/1 (5-16) कुल 25 कनाल 12 मरला गांव मोहब्बतपुर भुंगारका, तहसील की राजस्व संपत्ति का हिस्सा है नारनौल, जिला मोहिंदरगढ़ और के रूप में वर्णित है*शामलात देह*राजस्व रिकॉर्ड में. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह पिछले 50 वर्षों से प्रतिवादी नंबर 4, तुल्ला के बेटे, माता दीन के साथ याचिकाकर्ता के पूर्वजों के सह-हिस्सेदार के रूप में विवाद में उपरोक्त भूमि पर खेती कर रहा है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह और उसका सगा भाई पिछली लगभग आधी शताब्दी से विवादित भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे थे और इस प्रकार भूमि को कानून की परिभाषा से बाहर रखा गया है।*'शामलात देह'*जैसा कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 2(जी) में प्रदान किया गया है। हालाँकि, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नांगल चौधरी ने याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए अधिनियम की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया।**

और उनके भाई माता दीन, प्रतिवादी संख्या 4 विवाद में भूमि से। उन कार्यवाहियों में विद्वान सहायक कलेक्टर के समक्ष विवादित भूमि से संबंधित जमाबंदी, मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड के अंश आदि के रूप में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। हालाँकि, विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश, दिनांक 31 मार्च, 1978 द्वारा याचिकाकर्ता और उसके भाई माता दीन को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया। रुपये का जुर्माना याचिकाकर्ता पर 9600 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 5 वर्ष की अवधि के लिए विवादित भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए 600 रुपये प्रति एकड़। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, नारनौल के समक्ष अपील की, जिन्होंने अपने आदेश, दिनांक 26 जून, 1979 के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया और विद्वान सहायक कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की। उपरोक्त दो आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका 18 सितंबर, 1979 को दायर की गई थी। 15 नवंबर, 1979 को मोशन बेंच ने रिट याचिका स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता को विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा जारी रखने की अनुमति दे दी।

3. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 को 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 2 द्वारा संशोधित किया गया था। धारा 13-ए और 13-बी को इसमें शामिल किया गया था। सहायक कलेक्टर के समक्ष मुकदमे का उपचार, कलेक्टर के समक्ष अपील और आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम। धारा 13-ए में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित या निहित मानी जाने वाली किसी भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, प्रारंभ की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर संशोधित अधिनियम के तहत विवादग्रस्त भूमि या अचल संपत्ति पंचायत में निहित है या नहीं, इसके निर्णय के लिए मुकदमा दायर करें। ऐसा मुकदमा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र में है जहां ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है। इस धारा की उपधारा (2) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत दायर मुकदमों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया वही होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित है। चूंकि रिट याचिका वर्ष 1979 में दायर की गई थी और संशोधन 1981 में लागू हुआ था, जाहिर है, याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा '13-ए के तहत न्यायनिर्णयन के उपाय का लाभ उठाने का कोई सवाल ही नहीं था। हालाँकि तथ्य यह है कि सहायक कलेक्टर के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किए बिना और उचित रूप से सराहना किए बिना, उनके लिए एक या दूसरे निष्कर्ष देना न तो संभव था और न ही सुरक्षित था, कि क्या याचिकाकर्ता और उसके भाई माता पिन , प्रतिवादी क्रमांक 4 के पास भूमि का वास्तविक भौतिक कब्ज़ा था

अधिनियम की धारा 2{जी) के प्रयोजनों के लिए विवाद है या नहीं। इस तरह के निष्कर्ष पर केवल अधिनियम की धारा 13-ए के तहत उचित निर्णय के बाद ही पहुंचा जा सकता है, जिसमें रिकॉर्ड पर मौजूद भारी दस्तावेजी सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं किये जाने पर दोनों विवादित आदेश अनुलग्नक पीएल और पी.2 को रद्द कर दिया जाता है।

4. चूँकि याचिकाकर्ता ने 1979 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और तब से वह उचित परिश्रम के साथ अपने मामले को आगे बढ़ा रहा है और इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अधिनियम में संशोधन हुआ है, संपर्क करने के लिए अधिनियम की धारा 13-ए में निर्धारित सीमा की अवधि उस धारा के तहत सहायक कलेक्टर का न्यायालय विस्तार योग्य है।

5. तदनुसार, यदि याचिकाकर्ता को सलाह दी जाती है, तो वह आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय के लिए संबंधित सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष मुकदमा प्रस्तुत करके उचित निर्णय के लिए अधिनियम की धारा 13-ए के तहत प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठा सकता है। सहायक कलेक्टर को निर्देश दिया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 13-ए के तहत गुण-दोष के आधार पर विवाद की जांच करें और उसके सामने पेश की गई सामग्री के आधार पर इसका फैसला करें। इन निर्देशों के साथ रिट याचिका को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।

एससीके

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा